TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7.3.84

NOTIFICATION
INCOME TAX

No. 5701 (F.No.203/10/84-ITA.II): In continuation of this office Notification No.5118 (F.No.203/176/82-ITA.II) dated 2-3-83, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:-

i) That the Organon Research Centre, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

ii) That the said association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year

iii) That the said association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

ORGANON RESEARCH CENTRE, CALCUTTA

This notification is effective for a period of one year from 30-12-1983 to 29-12-1984.

(M.G.C.GOYAL)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7.3.84

अधिसूचना
(आयकर)

सं0 5701 (फा0 सं0 203/10/84-आ0 क0 (नि0-II) : इस कार्यालय की दिनांक 23-3-83 की अधिसूचना सं0 5118 (फा0 सं0 203/176/82-आ0 क0 नि0-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि आर्गनन रिसर्च सेंटर, कलकत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

आर्गनन रिसर्च सेंटर, कलकत्ता

यह अधिसूचना 30-12-1983 से 29-12-1984 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

मदन गोयल
(मदन गोपाल चन्द गोयल)
अवर सचिव, भारत सरकार

* शर्मा *